Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XIV, Issue No. 2, January-2018, ISSN 2230-7540

शिक्षा कार्यक्रम हेतु महत्वपूर्ण मानवाधिकारों का चयन

Niharika Kumari*

Assistant Professor in Education, SMTTC, Ranchi

***सार –** मानव ने प्राचीन काल से ही अपनी बौद्धिक चातुर्यता के बल पर विकास यात्रा प्रारम्भ की है, जिसमें शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। वैसे भी शिक्षा किसी राष्ट्र के विकास व प्रगति का संकेतक होती है जो उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक जैसे गुणों से सुशोभित करती है। प्रसिद्व दार्शनिक प्लेटो भी कहते हैं कि- "शिक्षा वह सर्वोत्तम एवं सुन्दर वस्तु है जिसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति प्राप्त करते हैं अर्थात मनुष्य को सच्चे अर्थों में मानव बनाने वाली शक्ति का नाम शिक्षा है।" इस प्रकार शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए संजीवनी बूटी के रूप में कार्य करती है। चूँकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति का प्रमुख आधार शिक्षा ही है। अतः प्रगतिशील समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक प्रक्रिया मूल्य आधारित होनी चाहिए। दूसरी तरफ समाज और व्यक्ति दोनों के लिए शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा आदर्श नागरिकों के निर्माण की नींव रखी जाती है। 1968 और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इन्हीं तत्वों के विकास पर बल डाला गया है। वैसे भी मानवाधिकार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, उसके द्वारा मानव मूल्यों और ज्ञान दोनों का ही सृजन होता है। जब हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो इस स्तर पर अधिगमकर्ता में विश्लेषणात्मक बुद्वि का विकास होने लगता है तथा ज्ञान के साथ-साथ चिंतन की गहन प्रक्रिया भी आरंभ होने लगती है। वैसे भी चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसी प्रकार जब हम माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो ये शिक्षा की वह कड़ी है जो बालक के सर्वांगीण विकास की नींव रखती है तथा समेकित विद्यालयी शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का अंतिम पड़ाव कहलाता है जहाँ पर सभी विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक समान पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम निर्धारित होता है।*

---------------------------------X---------------------------------

प्रस्तावना

मानव सभ्यता और संस्कृति की विकास यात्रा में नैतिक एवं शाश्वत मूल्यों की जीवंतता बनाये रखने के लिए मानवाधिकार की शिक्षा का प्रसार भी आवश्यक हैं। 1993 में हुये मानवाधिकार शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी इस बात को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि – "मानवाधिकार शिक्षा मानवाधिकार ही है जो कि सतत् विकास तथा नागरिक एवं सामाजिक लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है यह भी स्वीकार किया जाता है कि मानवाधिकार शिक्षा भेदभाव, अनुचित व्यवहार, अलोकतांत्रिक अभिवृत्ति, सांस्कृतिक मूल्यों के ह्रास, समाज की अजागरुकता, पर्यावरण षोषण, मानवाधिकार निरक्षरता एवं किसी भी स्तर पर मानवाधिकार के हनन को रोकने का प्रयास करती है।

वैसे भी मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति होने के कारण विचारकों, दार्शनिकों का केन्द्र बिन्दु रहा है और युगों-युगों से संसार भर में मनीषियों ने वैदिक शिक्षा से दृष्टि प्राप्त की तथा विश्व को जीवन दर्शन के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का अनुपम संदेश दिया। विश्लेषणात्मक रूप से वेद ही मानवीय मूल्यों के आदि प्रेरक रहे हैं। अतः वेद ही मानव मात्र की अमूल्य संस्कृति हैं, उसमें ही मानवाधिकार की संकल्पना भी अन्तर्निहित है, जिससे परिचित होना आवश्यक है।

मानवाधिकार की अवधारणा

मानवाधिकार शब्द की उद्घोषणा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम 1776 में हुई। शब्दकोष के अनुसार मानवाधिकार का तात्पर्य है – "Human" अर्थात मानव जाति से सम्बन्धित "Right" अर्थात सत्य के अनुरूप। इस प्रकार मानवाधिकार का भावार्थ है कि सत्य एवं न्याय के अनुरूप मानव जाति के साथ संबंध रखना (बत्रा, 1979)।

मानवाधिकार ऐसे सार्वभौमिक मानक है जो उन मूलभूत अधिकारों से संदर्भित है जो एक व्यक्ति के सम्मान, खुशी एवं आत्म-सम्मान के लिए आवश्यक है। विशेष रूप से मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि वह मानव हैं, भले ही वे लिंग, वर्ग, जाति, व्यवसाय, राष्ट्रीयता सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप में भिन्न

www.ignited.in

हों।सार रूप में कह सकते हैं कि मानवाधिकार का अर्थ है – “सभी लोगों एवं सभी देशों के लिए उपलब्धि का सामान्य मानदंड” (बर्फील्ड, 1977)।

यूनेस्को (1966) ने मानवाधिकारों को इस प्रकार परिभाषित किया है- “Human being are born equal in dignity and rights. These are moral claims which are inherent in all human individual by virtue of their humanity alone. These claims are formulated in what we today call human rights. These have been translated in to legal rights, established according to the new creating processes of societies, both national & international.”

मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा-पत्र वास्तव में समस्त मानव जाति के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की घोषणा करता है, जिनमें स्वतंत्रता, समानता, मानव गरिमा एवं सामाजिक न्याय मानवधिकारों के महत्वपूर्ण अभिलक्षण हैं। अतः मानवाधिकार वे अधिकार हैं, जो मनुष्य के जीवन उसके अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. अन्तर्वस्तु विश्लेषण द्वारा प्राप्त मानवाधिकारों में से शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम हेतु महत्वपूर्ण मानवाधिकारों का चयन करना।

2. चयनित मानवाधिकारों से सम्बन्धित अवयवों पर आधारित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम हेतु पाठ्यचर्या का निर्माण करना।

केरल वासक एवं मेसर (1993) ने मानवाधिकारों को चार पीढ़ियों में विभाजित किया है जिनका मानवाधिकारों के विकास में प्रमुख योगदान है -

प्रथम पीढ़ी के अधिकार

इसका उदय अमेरिका व फ्रांस की क्रांति से हुआ है। ये नागरिक और राजनीतिक अधिकार के समान है जो कि ‘अंतर्राष्ट्रीय बिल ऑफ़ राइट्स’ के समरूप भी है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता से सम्बन्धित अधिकार है। इसमें जीवन का अधिकार, सुरक्षा, स्वतंत्रता, संपत्ति, विवाह, अभिव्यक्ति आदि शामिल है।

द्वितीय पीढ़ी के अधिकार

इनका जन्म रुसी क्रान्ति से हुआ है। इनमें सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का समावेशन है। इनमें ‘सुरक्षा आधारित अधिकार’ शामिल हैं जो कल्याण की भावना पर आधारित है। इसमें सामाजिक सुरक्षा, काम करने का अधिकार, बाल एवं महिला अधिकार का समावेशन है।

तृतीय पीढ़ी के अधिकार

ये वैश्विक अंतर्निभरता से जन्में हैं तथा ये राष्ट्र पर निर्भर हैं जिनका कोई अनुबंध पत्र नहीं है। विशेष रूप से ये तीसरे विश्व राष्ट्रों से सम्बन्धित हैं। इसके अन्तर्गत वे अधिकार आते हैं जिनका समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हो सकता है यथा- विकास का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, शंति के लिए एकजुटता।

चतुर्थ पीढ़ी के अधिकार

इस पीढ़ी के अधिकार में शरणार्थियों के अधिकार सम्मिलित हैं जिसमें वे अपने राजनैतिक अधिकारों का संरक्षण करते हुए आत्मनिर्णय और सामाजिक, आर्थिक विकास पर नियंत्रण रखते हैं।

मानवाधिकारों का उदय एवं विकास

सामान्यतः मानवाधिकार शब्द द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही प्रचलन में लाया जाता रहा है तथा संयुक्त राष्ट्र 1945 के घोषणा-पत्र में मानवाधिकार को संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई, परन्तु 1978 में अमेरिका की सरकार द्वारा प्रतिपादित विदेश नीति “Human Rights and U.S. Foreign Policy” के द्वारा भी मानवाधिकार के पद चिन्हों के संकेत मिलते हैं क्योंकि अमेरिका की इस विदेश नीति में स्पष्ट कहा गया है कि- “मानवाधिकार का विचार उतना ही पुराना है जितना कि उसका प्राचीन दुश्मन- स्वेच्छाचारिता या निरंकुशता।” मानवाधिकार की झलक हिलेरी क्लिंटन के द्वारा 1917 में राष्ट्रसंघ में दिये गये एक वक्तव्य से भी मिलती है कि – ‘मानवाधिकार हमारे साथ शुरू से सभ्यता के प्रथम प्रकाश के समय से ही है।’

मानवाधिकार के इतिहास का विश्लेषण करने के कुछ प्रमुख उपागम है। पहला उपागम है- न्याय और मानव गरिमा, दूसरा उपागम है अधिकार। पहले उपागम में न्याय और मानव गरिमा समाहित है जो कि विश्व के प्रत्येक समाज में मिलते हैं क्योंकि मानवाधिकार सार्वभौमिक है। इसी परिप्रेक्ष्य में अरस्तू का न्याय का सिद्धान्त भी लोकप्रिय है, जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि लाभों का बँटवारा आनुपातिक रूप में होना चाहिए। इसी प्रकार जब हम दूसरे उपागम अधिकार की बात करते हैं तो इसका समावेशन भी पश्चिम और आधुनिक समाज में मिलता है।

मानवाधिकारों के उदय एवं विकास के चरण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएँ मानवाधिकारों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में इन घटनाओं का विशेष योगदान रहा है-

मैग्नाकार्टा घोषणा-पत्र (1215)

मानवाधिकारों के विकास में मैग्नाकार्टा का विशेष महत्व है। 1215 में इंग्लैण्ड में राजा जॉन का शासन था। उसे जनता ने टेम्स नदी के रनीमेड टापू पर घेरकर मैग्नाकार्टा पर हस्ताक्षर करवाए थे, जिसके प्रमुख तथ्य हैं -

- अपराध सिद्ध न होने तक किसी नागरिक को बंदी नहीं बनाया जा सकता।
- 'कोर्ट ऑफ़ कॉमन लॉ' एक सुनिश्चित स्थान पर कार्य करे।
- व्यक्ति को उसके अपराध की परिस्थिति के अनुरूप दंड दिया जाए। सामंतों ओर पादरियों को महान् परिषद में निमंत्रित करना आवश्यक किया जाए।

विधि का शासन

विधि के शासन से तात्पर्य है कि ब्रिटेन में शासन 'विधि के अनुसार' चलता है किसी व्यक्ति विशेष की इच्छानुसार नागरिकों को विश्व के अन्य किसी भी देश के नागरिकों से कहीं अधिक मूल अधिकार विधि के शासन के अंतर्गत प्राप्त हैं।

बिल ऑफ़ राइट्स (1689)

1688 में इंग्लैण्ड में रक्तहीन क्रान्ति हुयी। इस क्रान्ति के कारण इग्लैण्ड के शासक जेम्स द्वितीय को राज सिंहासन छोड़ना पड़ा। संयुक्त शासक के रूप में विलियम तथा मेरी की नियुक्ति हुयी। संसद ने शर्त भी रखी थी कि राजा संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगा सकेगा, किसी कानून को समाप्त नहीं कर सकेगा। संसद के अधिनियम द्वारा 1689 में 'बिल ऑफ़ राइट्स' पारित कर दिया गया।

अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा (1776)

ब्रिटिश संसद के अत्याचारों के कटु अनुभव के फलस्वरूप जार्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी उपनिवेशों जनता के मूल अधिकारों के लिए माँग की। अमेरिका के 13 राज्यों ने माँग की थी कि - 'प्रतिनिधित्व नहीं, तो कर नहीं' लेकिन जब यह माँग स्वीकार नहीं की गयी तो सन् 1776 में 'स्वतंत्रता का घोषणा-पत्र' प्रकट हुआ। उसमें कहा गया कि- "सभी व्यक्ति जन्म से समान पैदा हुए हैं।"

अमेरिकी अधिकार घोषणा पत्र

अमेरिका के मूल संविधान (1787) में मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था, परन्तु 1791 में संविधान के प्रथम दस संशोधनों द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों को संविधान का

अंग बनाया गया। ये दस संशोधन सामूहिक रूप से अधिकार पत्र कहलाते हैं। इसमें विभिन्न अधिकार शामिल हैं जैसे- दासता से मुक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषण या सभा अथवा प्रार्थना करने की स्वतंत्रता, शस्त्र धारण करने का अधिकार, विधियां समान संरक्षण आदि।

फ्रांस में राज्य क्रांति 1789

फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में शुरू हुयी, जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के नारे दिये गये। क्रांति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली ने 'राइट्स ऑफ़ मेन ऐंड सिटिजन' की घोषणा की। इसमें प्रमुख अधिकार शामिल थे -स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, कानून के समक्ष समानता और अत्याचार के विरोध का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने व प्रकाशन की स्वतंत्रता आदि।

साम्यवादी क्रांति 1917

रूस की अक्तूबर क्रांति 1917 में हुयी। जनता ने अत्याचारी निकोलस के विरुद्ध विद्रोह किया। यह क्रांति 'निरंकुशता का नाश' के नारे से प्रसिद्ध हुयी और 'श्रमिकों का विजय' के नारे से इसका अंत हुआ। यह क्रांति सर्वहारा द्वारा मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने का उदाहरण है।

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन एवं अधिकारों की माँग

भारत में स्वतंत्रता संग्राम मानवाधिकारों के संघर्ष की गौरवमयी कहानी है। तिलक ने कहा कि – "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।" गांधी जी मानते थे कि- "सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है।" कराची अधिवेशन में 1931 में मौलिक अधिकारों की माँग की गयी। 1947 में मिली आजादी के बाद मौलिक अधिकारों के लिए संविधान में पृथक अध्याय (भाग-3) की व्यवस्था की गयी।

इस प्रकार मानवाधिकारों को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने में इन घटनाओं का अमूल्य योगदान रहा है।

प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध

प्रथम विश्व युद्ध (1914) और द्वितीय विश्व युद्ध (1945) ने मानवाधिकारों की अवधारणा के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभायी है। इस कालखंड को 'विध्वंस का काल' भी कहा गया है। इसी समय मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में राष्ट्रसंघ का गठन भी इसी उद्देश्य से हुआ कि मानवाधिकारों की अवधारणा का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सके। वैसे तो राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा में प्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों पर प्रकाश नहीं डाला गया था परन्तु इसमें अल्पसंख्यकों, युद्ध प्रभावित लोगों, बालश्रम एवं विशेष तौर से श्रमिकों के अधिकारों पर ध्यान दिया गया। राष्ट्रसंघ की स्थापना के साथ-साथ आधुनिक मानवाधिकारों का भी शुभारम्भ इसी समय हुआ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट ने 'अटलांटिक' नाम के एक संयुक्त घोषणा पत्र के द्वारा देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जिससे समाज में नाजी नृशंसता के बाद समरसता का वातावरण स्थापित हो सके।

अंतराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का प्रचार-प्रसार करने के लिए 1942 में अटलांटिक चार्टर पर राष्ट्रसंघ के 21 मित्र देशों ने सहमति की मुहर लगाई और कुछ समय बाद 21 अन्य देशों ने भी इस पर अपनी सहमति व्यक्त की।

मानवाधिकार एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर आंदोलन हुए। इसी समय 'युद्ध अपराध (War Crimes) और 'मानवता के विरुद्ध अपराध' (Crimes Against Humanity) जैसे शब्दों का भी प्रसार हुआ लेकिन इसके उपाय स्वरूप नूरेम्बर्ग इंटरनेशनल ट्रायब्यूनल और टोक्यो ट्रायब्यूनल जैसी संस्थाओं की स्थापना करके अपराधियों को सजा देने का भी प्रावधान किया गया।

इसी दिशा में 16 जनवरी 1941 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजवेल्ट द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने वाली एक घोषणा की गयी जो कि मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीयकरण में तो एक सराहनीय कदम था ही साथ ही सर्वप्रथम मानवाधिकार पद का प्रयोग भी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा ही किया गया था। इस प्रकार शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने घोषणा-पत्र में चार प्रकार की स्वतंत्रताओं पर बल दिया - विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म एवं विश्वास की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता, तथा भय से स्वतंत्रता।

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी में मानवाधिकार के विकास के चरण में एक तीव्रगति से परिवर्तन आया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के लिए विशेष प्रयास किये गये। इसी क्रम में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सममेलन आयोजित किए गए और कई घोषणाएँ की गई जैसे कि- लंदन घोषणा (जून 1941), अटलांटिक चार्टर (अगस्त 1941), संयुक्त राष्ट्र घोषणा (जनवरी 1942), मॉस्को घोषणा (अक्तूबर 1943), तेहरान घोषणा (दिसम्बर 1943), डंबार्टन आक्स सम्मेलन (अगस्त 1944), याल्टा सम्मेलन (जून 1945) आदि।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अन्तर्गत मानवाधिकार

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में प्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकार पर प्रकाश नहीं डाला गया है परन्तु इस उपबन्ध में मानवाधिकारों से सम्बन्धित कई प्रावधान हैं-

- प्रस्तावना में,
- संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 1 में,
- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग के उद्देश्यों में अनुच्छेद 13(2) में,
- अनुच्छेद 55 में,
- अनुच्छेद 56 में,
- आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्यों में अनुच्छेद 62(2) में,
- आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के दायित्व के सम्बन्ध में जिसमें मानवीय अधिकारों की प्रोन्नति के लिए एक कमीशन स्थापित करने की बात कही गयी है अनुच्छेद 68 में,
- न्यास प्रणाली के उद्देश्यों में अनुच्छेद 76(स) में

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हुयी तो मानवाधिकारों का संरक्षण ही नहीं हुआ अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकारों को व्यापक पहचान प्राप्त हुयी। इसी समय बहुत सारी योजनाएं लागू हुयीं, घोंषणाएं हुयीं तथा समितियां बनी। इसी समय प्रमुख योजना

www.ignited.in

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 भी कार्यान्वित हुयी, जिसके अनुसार 'सभी राष्ट्रों के सभी लोगों को एक समान अधिकार' प्राप्त होने की बात कही गयी।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) किसी भी प्रकार की संधि या कानूनी समझौता या बंधनकारी वैधानिक दस्तावेज नहीं हैं बल्कि ये एक संकल्प हैं, सिद्धान्त है, एक घोषणा है, जिसने कई देशों के संविधानों और उसकी वैधानिक प्रणालियों को प्रभावित किया है।

1946 में श्रीमती एलीनर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में सर्वप्रथम मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और इसमें ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप सितम्बर 1948 में महासभा को सौंप दिया गया, जो महासभा ने कुछ संशोधनों के बाद 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार कर लिया। सम्पूर्ण विश्व में 10 दिसंबर के इस दिवस को 'मानवाधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस विश्व घोषणा का प्रमुख उद्देश्य मानवाधिकारों का संरक्षण एवं विश्व स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार रहा है। महासभा ने भी सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे घोषणा पत्र का प्रचार करें तथा देश-विदेश की विविधता का सम्मान करते हुए विशेष रूप से शिक्षा संस्थाओं में इसके प्रचार-प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबंध करें।

वैसे तो इस घोषणा का विश्व भर में 360 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है परन्तु सरकारी पाठ के रूप में विश्लेषण करें तो इस घोषणा का संयुक्त राष्ट्र की पाँच भाषाओं में अनुवाद है- चीनी, फ्रांसीसी, अंग्रजी, रूसी और स्पेनी। इसी के आधार पर देश-विदेश में लोगों को अपने प्राकृतिक अधिकार की जानकारी प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पर वे अपने अधिकारों की रक्षा न्यायोचित रूप से कर सकते हैं तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून भी बनाए गये हैं हालांकि मानवाधिारों की यह घोषणा कोई कानूनी दस्तावेज नहीं हैं फिर भी इस घोषणा के वक्तव्य को वास्तविक मानवाधिकार बंधन के रूप में सभी सदस्य राष्ट्रों ने स्वीकार किया है।

इस प्रकार यह घोषणा स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों के सिद्धान्त को व्यवहार में लाती है, भले ही वो कोई भी हो एवं कहीं के भी हों। यह घोषणा विशेषतया मानवतावाद से प्रेरित है। इस घोषणा-पत्र में मानवाधिकार से सम्बन्धित 30 अनुच्छेद हैं जिसमें प्रस्तावना भी निहित है। चूँकि इस विश्व घोषणा का निर्माण ही इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कभी भी छीने नहीं जा सकते, वो अपरिहार्य हैं, इसका कारण था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का कटु अनुभव, जिसने मानवता पर कड़ा प्रहार किया था। घोषणा के निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखकर इसमें मानवाधिकारों से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख किया।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना

- चूँकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा तथा सम्मान एवं अन्य संक्राम्य अधिकार विश्व में स्वतंत्रता न्याय एवं शांति की नींव है।
- चूँकि यह आवश्यक है कि यदि मनुष्य को अंतिम हल के अत्याचार या निरंकुशता एवं उत्पीड़न के विरुद्ध अन्तिम आशय के रूप में विद्रोह के लिये विवश करना नहीं है तो मानव को विधि के शासन द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।
- चूँकि राष्ट्रों के मध्य मित्रता के सम्बन्धों के विकास को प्रोन्नति आवश्यक है।
- चूँकि चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने मूल मानवीय अधिकारों, मानव व्यक्ति की गरिमा एवं मूल्य के तथा पुरुष एवं महिलाओं के समान अधिकारों में अपने विश्वास या आस्था की पुनः पुष्टि की है तथा निश्चय किया है कि सामाजिक प्रगति एवं अधिकतम स्वतंत्रता के बेहतर मानक को प्रोन्नति करेंगे।
- चूँकि सदस्य राज्यों ने संकल्प किया है कि वह संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानवीय अधिकारों एवं मूल्य स्वतंत्रताओं के लिये सार्वभौमिक सम्मानों एवं पालन की प्रोन्नति करेंगे।
- चूँकि इस संकल्प की पूर्ण प्राप्ति के लिये इन अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की सामान्य समझ का अधिकतम महत्व है।

अतः महासभा यह घोषणा करती है कि-

मानवाधिकारों की ये सार्वभौमिक विश्वव्यापी घोषणा का सभी देश एवं राष्ट्र सम्मान करेंगे तथा इसका यथावत् पालन करेंगे। इसे मापदंड के रूप में स्वीकार करते

इस प्रकार सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीयकरण में तथा मनुष्य की स्वतंत्रता के संपोषण में एक सशक्त उपलब्धि रही है। इसे 'आधुनिक युग का

मैग्नाकार्टा' भी कहा जाता है। इसमें मानवाधिकार विषयक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो कि सामान्य रूप से लिखे गये हैं। इनका पालन करना सभी देशों के लिए सामान्य रूप से आवश्यक माना गया है अर्थात विश्व के अधिकांश देशों ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करके इसके पालन की स्वीकृति दी है। 120 देशों ने 1966 में हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति प्रस्तुत की थी जबकि भारत ने 1979 में 10 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पर सर्वसम्मति से हस्ताक्षर किये। ऐसे ही मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित किया गया। जिसमें तीन प्रसंविदाएं सम्मिलित हैं -

(1) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा।

(2) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा।

(3) राजनीतिक अधिकारों सम्बन्धी प्रसंविदा की वैकल्पिक व्यवस्था।

इसके साथ-साथ बहुत सी घोषणाएँ की गई जो कि मानव की गरिमा और स्वतंत्रता को प्रमुखता प्रदान करती हैं। मानवाधिकारों का इस सार्वभौम घोषणा में सम्मिलित प्रावधानों का विश्लेषण करके इसे प्रमुख रूप से तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है।

सर्वप्रथम, प्रथम चरण में सम्मिलित प्रावधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस वर्ग के अधिकार में मानव की स्वतंत्रता को प्रमुखता दी गयी है। ये 19वीं सदी का वो दौर था जब उदारवादी और लोकतांत्रिक आंदोलन का प्रभाव काफी अधिक था। इसका प्रभाव इस सर्वव्यापी घोषणा पर भी पड़ा। जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअट मिल, महात्मा गाँधी और मार्टिन लूथर किंग जैसे विचारकों के प्रभाव ने इस घोषणा में उल्लिखित राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों की नींव रखी। वैसे तो इस घोषणा पत्र में 30 धाराएं हैं, जिनमें से प्रथम 21 धाराएं राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों के प्रावधानों से सम्बन्धित हैं।

विएना घोषणा-पत्र और कार्य योजना

मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे तेहरान सम्मेलन 1968 के रूप में जाना जाता है। इसमें सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धान्तों को ही अपनाया गया। इसके 25 वर्षों के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक वृहत विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे विएना घोषणा और कार्य योजना 1993 के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इसमें 170 से अधिक देश, 850 गैर - सरकारी संगठन, पत्रकार एवं विद्वानों ने भाग लिया। इस प्रकार 25 जून 1993 को विएना घोषणा कार्यान्वित हुयी, जिसने 'ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल' के उद्देश्य को आधार बनाकर मानवाधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा की।

विएना घोषणा-पत्र एवं कार्य योजना (वी.डी.पी.ए.) के प्रावधान भाग एक और भाग दो में उल्लिखित है जो इस प्रकार है-

भाग एक- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के बाद से विचारकों के लिए ये चर्चा का विषय रहा कि कौन से मानवाधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे है। इस संबंध में विएना घोषणा में प्रकाश डालते हुए कहा गया कि – "सभी मानवाधिकार सार्वजनीन, अविभाज्य, अंतर्निर्भर और अंतर्संबद्ध हैं।" इसके साथ ही धारा-8 कार्य योजना में 1948 के घोषणा पत्र की समीक्षा विकास, लोकतंत्र, जनता के संदर्भ में की गयी। साथ ही इस कार्य योजना में मानवाधिकारों की दिशा का गहन विश्लेषण किया गया है।

भाग दो-इस भाग में मानवाधिकार से सम्बन्धित 5 उपभाग हैं-

प्रथम उपभाग में मानवाधिकारों के प्रसार एवं विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों के सुनियोजित एवं विकासशील कार्यान्वयन पर बल दिया गया है तथा साथ ही इस कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (यू.एन. हाई कमीशनर फॉर ह्यूमन राइट्स) के गठन का भी प्रस्ताव शामिल है।

विएना घोषणा-पत्र के द्वितीय उपभाग में समानता, सम्मान सहिष्णुता, अल्पसंख्यक अधिकार, महिला अधिकार, बाल अधिकार जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय नीति बनाने पर बल दिया गया।

तृतीय उपभाग में मानवाधिकारों की सुदृढ़ता, सहयोग एवं विकास के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परियोजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी गयी ताकि मानव के अधिकारों का स्वतंत्र प्रसार हो सके।

विएना घोषणा एवं कार्य योजना का चतुर्थ उपभाग मानवाधिकार शिक्षा को समर्पित है। मानवाधिकार शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संवर्धन के लिए दो सूत्रीय रणनीति का प्रावधान किया गया- (1) व्यापकतम मानवाधिकार शिक्षा, (2) सार्वजनिक सूचना का वितरण। इसके माध्यम से औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, मानवाधिकार शिक्षा के प्रसार के लिए सहिष्णुता, शांति, लोकतंत्र, कानून जैसे मुद्दों की शिक्षा देने की बात कही गयी।

पंचम उपभाग में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के सिद्धान्तों के व्यापक प्रसार पर बल दिया गया।

अतः विएना घोषणा एवं कार्य योजना में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सहयोग, लोकतंत्र, न्याय, शिक्षा, विकास, समानता, साहिष्णुता, आत्मनिर्धारण जैसे सम्प्रदाय को चरितार्थ करते हुए वैश्विक समुदाय के वातावरण को निर्मित करने का ध्येय रखा गया, ताकि मानवाधिकारों के द्वारा सार्वभौमिक प्रकृति को प्राप्त किया जा सके।

मानवाधिकार भारतीय संविधान के परिद्रश्य में

भारत की सभ्यता एवं संस्कृति में ही मानवाधिकार का बीज रोपित है। प्राचीन हिन्दू सभ्यता, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' जैसे सार्वभौमिक सिद्धान्तों में मानवाधिकार रचा बसा है, जिसमें समानता, न्याय, स्वतंत्रता एवं सर्व कल्याण जैसे आदर्श वाक्य शामिल हैं। हमारे संविधान में भी इन्हीं मानवाधिकारों पर बल दिया गया है और ये संविधान की प्रस्तावना में ही नहीं अपितु मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त और मौलिक कत्र्तव्यों में भी शामिल हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान में मानवाधिकारों पर व्यापक प्रकाश डाला गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति पर औपनिवेशिक गतिविधियां, राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार के मतभेद ने सकारात्मक प्रभाव डाला हैं, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के ही सम्पूरक हैं। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी.बी. गजेन्द्रगड़कर ने कहा कि 'संविधान मात्र एक दस्तावेज न होकर मानवीय मुक्ति का एक अनूठा प्रयास था।'

भारतीय संविधान संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रावधानों से प्रत्यक्षतः प्रेरित हैं, क्योंकि इसमें मानवाधिकार प्रावधान के लिए उल्लिखित है कि इसका समावेशन न केवल संविधान में ही होना चाहिए अपितु सभी राज्यों को इसके कार्यान्वयन के लिए प्रबंध एवं नीतियां बनानी चाहिए अर्थात व्यापक स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए।

"प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, जिसमें अपने देश की सम्प्रभुता, समाजवादिता, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्रीय शासन की झलक मिलती है तथा साथ ही साथ यह अपने देश को न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा भी प्रदान करती है।"

इस प्रकार भारतीय संविधान की केवल प्रस्तावना ही मानवाधिकार से प्रेरित नहीं है अपितु संविधान के मूल अधिकार, मूल कत्र्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्वों में भी मानवाधिकारों की झलक मिलती है।

भारतीय संविधान एवं सार्वभौम घोषणा 1948 के बीच अन्तर्सम्बन्ध

10 दिसम्बर 1948 को वैश्विक मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। भारत ने भी 10 अप्रैल 1979 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पर हस्ताक्षर किये थे। भारतीय संविधान में वर्णित बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो सार्वभौमिक घोषणा में दिये गये मानवाधिकार प्रावधानों के समान हैं, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, जिनका वर्णन अग्रवर्णित तालिका में प्रदर्शित है -

मानवाधिकारों के रूप में मौलिक अधिकार, मूल कत्र्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व

मानवाधिकार का मूल उद्देश्य है- सभी का कल्याण जो कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व, एवं वैश्विक समुदाय के आदर्शों से परिपूर्ण होती है। दूसरी ओर भारतीय संविधान की आत्मा (प्रस्तावना) में ही ये भावनायें सम्मिलित हैं फिर मौलिक अधिकार हो या नागरिक अधिकार हो, इन सबका ध्येय एक ही है मानव कल्याण। जिसका समाज में स्वतः प्रसार होना चाहिए, जो कि मानवता के आदर्शों को परिपूर्ण करता है। मानवाधिकार वे प्राकृतिक अधिकार हैं, जो प्रत्येक मानव को मिलने चाहिए चाहे वो किसी भी देश का हो अथवा किसी भी लिंग, जाति, धर्म का हो। भारतीय संविधान में बहुत से मौलिक अधिकार ऐसे है जो मानवाधिकार से साम्यता रखते हैं। मौलिक अधिकार का प्रारूप तैयार करते समय सार्वभौम घोषणा 1948 का तो अध्ययन किया ही गया, इसके साथ ही संविधान सभा के सलाहकार सर बी0एन0 राव और आयरिश राष्ट्रपति ईमोन डि वालेरा तथा अमेरिकी जस्टिस फ्रैंकफर्टर से भी चर्चा की गयी। मौलिक अधिकारों के निर्माण में विश्व के अनेक लोकतंत्रिक देशों में निर्मित मौलिक अधिकारों का तुलनात्मक अध्ययन कर इन्हें आधार बनाया गया।

भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किये गये थे परन्तु 44वें संशोधन द्वारा संपति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विलग कर दिया गया है। भारतीय संविधान में अब 6 मौलिक अधिकार सम्मिलित हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 14 से 35 तक में विस्तार से किया गया है, जिसे चित्र 1.1 के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

समानता का अधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को समान मानकर उसकी जाति, नस्ल, वर्ग, जन्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करते हुए अवसर की समानता, छुआछूत का अंत जैसे अधिकार दिये गये हैं। इनका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। इस अधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को समान मानकर मानवाधिकार के मूल सिद्धान्त मानवतावाद की अभिव्यक्ति की गयी है।

स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। इसके अन्तर्गत हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को जाति, नस्ल, वर्ग, जन्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करते हुए स्वतंत्रता और सम्मान की जिंदगी को विशेष दर्जा देता है। इसीलिए संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जीवन जीने की स्वतंत्रता जैसे अधिकार से सुसज्जित किया है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार में सामाजिक समानता जैसे ज्वलंत विषय पर चर्चा की गयी है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 एव 24 में किया गया है। इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान से जीवन जीने के उद्देश्य को चरितार्थ करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसमें दास प्रथा, मानव व्यापार, बालश्रम, जैसे विषयों पर चर्चा की गयी है।

धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है अर्थात संविधान के अनुसार किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गयी है, यहाँ सभी धर्मों के साथ निष्पक्षता एवं तटस्थता से व्यवहार किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म में विश्वास करने उसका प्रचार-प्रसार करने, धार्मिक संस्था की स्थापना एवं अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है।

अनुच्छेद 29-30 में निहित शिक्षा एवं संस्कृति सम्बन्धी अधिकार प्रत्येक नागरिक को इस बात की स्वतंत्रता देता है कि वो शिक्षा एवं संस्कृति द्वारा अपने व्यक्तित्व को समुचित विकास करें। सार्वभौम घोषणा में भी विकास के अधिकार को प्रमुखता दी गयी है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है जो अपने आप में विशिष्ट है। ये सभी मौलिक अधिकारों का सार है। इसके अन्तर्गत यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसके लिए वह न्यायालय की शरण ले सकता है।

अतः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा-पत्र एवं भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार दोनों में ही सामाजिक समानता एवं मानव कल्याण के आदर्शों को अपनाया गया है।

भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त

भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता, समानता, न्याय का जो ध्येय है उसकी पूर्ति नीति निर्देशक तत्त्व ही करते है। एक तरह से ये राज्य के सम्मुख आदर्श उपस्थित करते हैं। वास्तविक प्रजातंत्र की झलक भी नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलती है ये राज्य के लिए नैतिक सूत्र हैं। भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्त्व सन्निहित हैं। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में भिन्नता है, अनुच्छेद 37 इसको स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 37 के अनुसार मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए न्यायालय में शरण ली जा सकती है किन्तु नीति निदेशक तत्त्व सरकार के लिए पथ प्रेरक लक्ष्य हैं, बाध्यता नहीं। इस प्रकार मौलिक अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है जबकि नीति निदेशक तत्वों का संबंध राज्य से होता है। इनकी प्राप्ति के लिए

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एवं मानवाधिकार शिक्षा

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में ही मानवाधिकार शिक्षा के सम्प्रत्यय का अंकुरण हुआ। साथ ही मानवाधिकार के अभिवर्धन में शिक्षा की महत्ता पर भी प्रकाश डाला गया है क्योंकि शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा मानव में अभिवृत्ति, कौशल, जागरूकता एवं मूल्यों का विकास होता है। संयुक्त राष्ट्र के इस घोषणा-पत्र में महासभा द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए (1995-2004) को मानवाधिकार शिक्षा दशक के रूप में घोषित किया गया। इसके साथ ही महासभा में ये उद्देश्य भी रखा कि- समाज का प्रत्येक अंग और प्रत्येक व्यक्ति शिक्षण और शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रति सम्मान की भावना का अभिपालन करेगा। इसके साथ ही विएना (ऑस्ट्रिया) घोषणा 1993 में मानवाधिकार शिक्षा पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया तथा 1960 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने भी मानवाधिकारों के प्रचार-प्रसार में

www.ignited.in

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब यूनेस्को का महासम्मेलन आयोजित हुआ तो 1995 में शांति, मानवाधिकारों और लोकतंत्र की शिक्षा संबंधी घोषणा में भी मानवाधिकार मुख्य विषय रहा है।

उपसंहार

मानवाधिकार शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों पर आधारित हो। शिक्षा ऐसी हो जो विद्यार्थियों में व्यक्तिगत, सामाजिक, सामूहिक मनुष्यता का भाव विकसित करे, जिससे वे समाज में प्रत्येक मनुष्य के प्रति सम्मान का भाव रखें। मानवाधिकार शिक्षा का मूल मंत्र मानवीय गरिमा का आदर करना होना चाहिए, जिससे उसमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के प्रति संचेतना, समझ, ज्ञान, सम्मान एवं कौशल का विकास हो। विशेष तौर से मानवाधिकार शिक्षा मानवाधिकार के विषय में देश-विदेश स्तर पर सम्यक् जानकारी प्रदान करती है, जिससे लोगों में जागरूकता व सम्मान के साथ-साथ मानवाधिकार के उल्लंघन की घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके।

संदर्भ

1. अधुजा, आर. (2008). सामाजिक अनुसन्धान, जयपुर: रावत प्रकाशन.

2. भवालकर, एस. (2007). के सन्दर्भ में स्कूल सिलेबस का विश्लेषण

3. पर्यावरण शिक्षा. इ.डियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 26 (1), 5-13

4. दिनेश, आर. एस (2010). मानवाधिकर कै भारतीय परवेश, दिल्ली: परमेश्वरी प्रकाशन

5. चोपड़ा, जे. के. (2010). मानवाधिकार और आधुनिक दुनिया, नया दिल्ली: डीपीएस पब्लिशिंग हाउस.

6. किसान, सी. ई. (2008). प्रभावित करने वाले कारको की एक परीक्षा अभिनव सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम सामग्री की स्वीकृति

7. निब.ध सार इ.टरनेशनल, 69 (6), 2116 ए.

8. गौर, ए.एस. (2017). शिक्षा दर्शन-इलाहाबाद: आलोक प्रकाशन, 574-581.

9. गोल्डबर्ग, एल (2008). मानवाधिकार शिक्षा पर प्रभाव छात्र दृष्टिकोण और व्यवहार. निबंध निबंध अन्तर्राष्ट्रीय, 69 (11), 4230 ए.

10. तुर्की का आर्थिक और सामाजिक इतिहास फाउंडेशन (2002).

11. जैन, पायल भोला (2013). मुल्ला परीवारन और मानवाधिकारो की शिक्षा, आगरा: अग्रवाल प्रकाशन

12. कपिल, एच. के. (2001). अनुशाधान विद्या, आगरा: पन्पू, भार्गव पुस्तक घर 05/12/11.

13. महाजन, डी. एंड महाजन, के. (2018). सामाजिक पद्धति अनुसन्धान दिल्ली: विवेक प्रकाशन

Corresponding Author

Niharika Kumari*

Assistant Professor in Education, SMTTC, Ranchi